

**कार्यालय:- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर (म0प्र0)**  
**// संशोधित-आदेश //**

क्रमांक / 17 / एक / 11 / 03 / सां. / 2010

अशोकनगर, दिनांक 24-4-24

मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग, भोपाल की अधिसूचना फा0कं0 17(ई)13/2010/21-ब(दो) दिनांक 01.05.2010 के अनुक्रम में कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 08.01.2024 में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

स.क्र.	न्यायालय का नाम	न्यायिक क्षेत्र	प्रकरणों का स्वरूप
1.	2.	3.	4.

**कार्य विभाजन आदेश कं0 01 दिनांक 08.01.2024 के पृष्ठ क्रमांक 06 के सरल कं0 06 के बिंदु कं0 03 पश्चात् बिंदु कं0 03ए निम्नानुसार स्थापित किया जाता है:-**

- |   |                                                                                 |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 | प्रथम जिला एवं अति. सत्र न्यायाधीश, अशोकनगर के न्यायालय के तृतीय अति. न्यायाधीश | सत्र खण्ड अशोकनगर | 3ए. अपमिश्रित औषधियों या नकली औषधियों से संबंधित अपराधों के मामलों में विचारण करने हेतु जो उक्त अधिनियम की धारा 13 के खण्ड (क) तथा (ख), धारा 22 की उपधारा (3), धारा 27 के खण्ड (क) तथा (ग), धारा 28, धारा 28क, धारा 28ख तथा धारा 30 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अधीन दण्डनीय है, के अंतर्गत प्रस्तुत होने वाले सत्र प्रकरण। |
|---|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**नोट:-**

उक्त अधिनियम के अतिआवश्यक प्रकृति के कार्य संबंधित पीठासीन अधिकारी के अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थित होने की दशा में सत्र न्यायाधीश अशोकनगर द्वारा सुनवाई में लिये जावेंगे एवं उनके अवकाश पर होने या अन्यथा अनुपस्थिति की दशा में मुख्यालय पर उपस्थित वरिष्ठतम अति0 सत्र न्यायाधीश द्वारा सुनवाई में लिये जायेंगे।

*Sd/-*  
(पी0के0 शर्मा)

प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अशोकनगर (म0प्र0)

अशोकनगर दिनांक 24-4-24

पृ0 क्रमांक 587 / एक-11-03 / सां0 / 2010  
प्रतिलिपि :-

1. प्रथम / द्वितीय / अति0 जिला न्यायाधीश, अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी।
2. प्रथम / द्वितीय / तृतीय / चतुर्थ / अति0 व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खण्ड एवं कनिष्ठ खण्ड अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी।
3. जिला रजिस्ट्रार, अशोकनगर
4. कलेक्टर, अशोकनगर।
5. पुलिस अधीक्षक, अशोकनगर।
6. अध्यक्ष अभिभाषक संघ अशोकनगर / मुंगावली / चंदेरी की ओर सूचनार्थ।
7. प्रशासनिक अधिकारी / उप-प्रशासनिक अधिकारी
8. प्रस्तुतकार प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर।

*PS*  
प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
अशोकनगर (म0प्र0)